

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

## प्रेस-नोट

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री हरद्वार दुबे का निधन हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थान की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन कराये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यक्रम नियत किया गया है:-

- |                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) नाम निर्देशन की अधिसूचना का दिनांक-                    | 29 अगस्त, 2023 (मंगलवार)                     |
| (2) नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक-                        | 05 सितम्बर, 2023 (मंगलवार)                   |
| (3) नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक-                    | 06 सितम्बर, 2023 (बुद्धवार)                  |
| (4) नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक-                           | 08 सितम्बर, 2023 (शुक्रवार)                  |
| (5) मतदान का दिनांक-                                       | 15 सितम्बर, 2023 (शुक्रवार)                  |
| (6) मतदान का समय-                                          | 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक    |
| (7) मतगणना का दिनांक-                                      | 15 सितम्बर, 2023 (शुक्रवार) सायं 5.00 बजे से |
| (8) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा। | 19 सितम्बर, 2023 (मंगलवार)                   |

स्थान-लखनऊ

दिनांक: 22.08.2023

A. K. Shukla  
(अजय कुमार शुक्ला)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या: 651(1)/सी0ई0ओ0-2-तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
11. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।

(रत्नेश सिंह)  
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।